

ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेन्टर होम-स्टे योजना के अन्तर्गत अनुदान धनराशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रपत्र

- 1- संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।
- 2- बैंक का डिफाल्टर न होने का प्रमाण पत्र।
- 3- योजना पूर्ण होने के उपरान्त फोटोग्राफ्स (सम्पूर्ण भवन की बोर्ड सहित, कमरों, टायलेट/बाथ)।
- 4- योजना पर व्यय धनराशि के बिल/बाउचर।
- 5- बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- 6- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/खतौनी की नकल।
- 7- पर्यटन विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

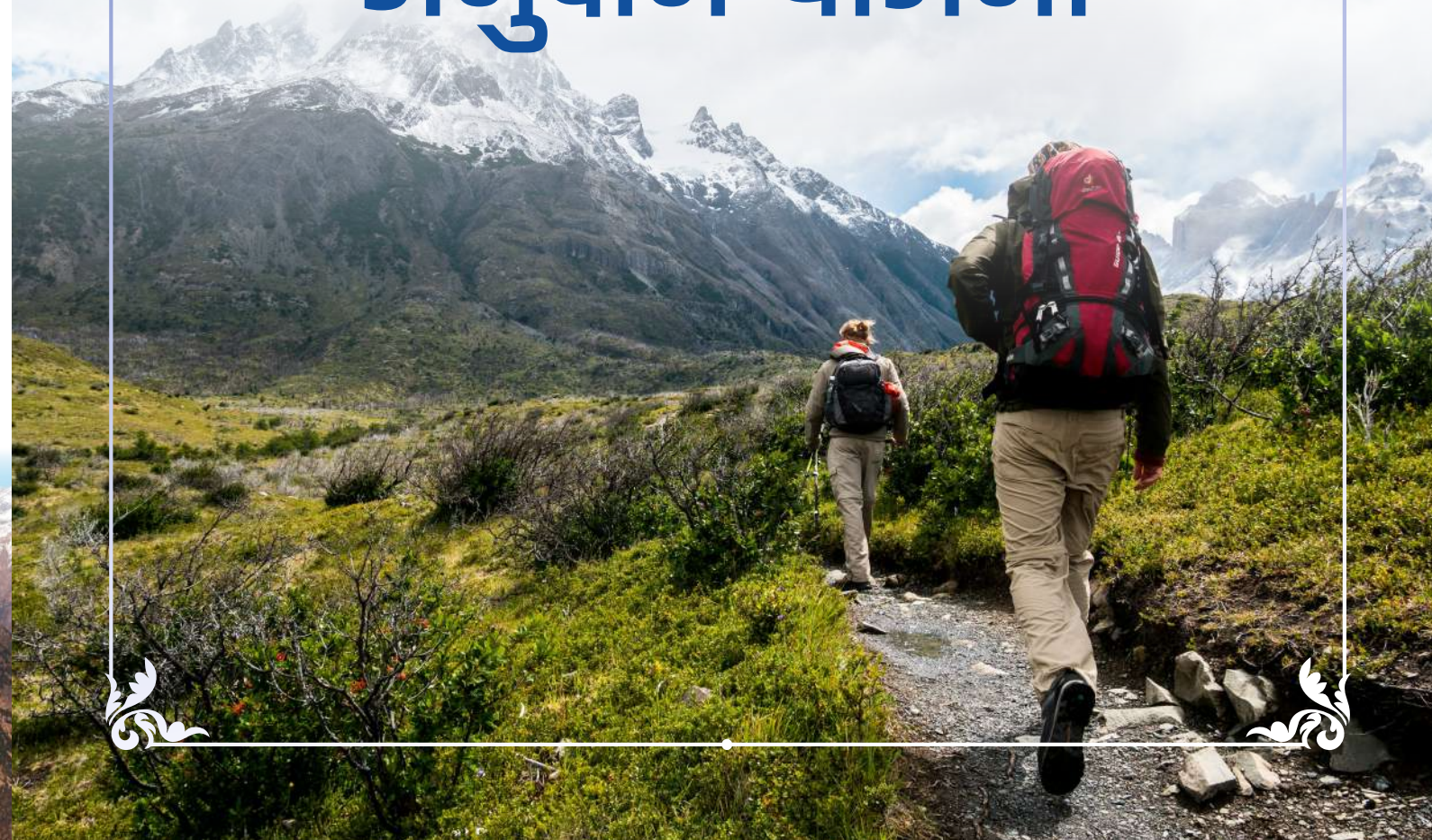


सम्पर्क सूत्र

जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली।
दूरभाष नं०- 01372-253185
Email Id- tourismchamoli@gmail.com
Insta - /visitchamoli | Web Site - www.visitchamoli.com



ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेन्टर होम-स्टे अनुदान योजना



ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेन्टर होम-स्टे अनुदान योजना

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा संचालित ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेन्टर होम-स्टे अनुदान योजना का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन के विकास, राज्य के प्रमुख ट्रेक रूट्स के पास होम-स्टे विकसित करते हुए स्थानीय लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना व उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना एवं नये पर्यटन स्थलों ट्रेक रूट्स का विकास, राज्य की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली से परिचित कराना तथा स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन रोकना है। योजना हेतु भवन पूर्णतः आवासीय परिसर होना चाहिए और वहाँ मकान मालिक अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से रह रहा हो। भवन को होम-स्टे योजना के अर्न्तगत पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसमें पर्यटकों के लिए 01 से 06 तक कमरों की व्यवस्था की जा सकेगी। यह योजना नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

“होम-स्टे” से ऐसी आवासीय इकाई अभिप्रेत है जो पूर्णतः आवासीय परिसर हो जिसमें भवन स्वामी स्वयं निवास करता हो तथा ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेंटर के 02 कि०मी० की परिधि में पडने वाले गाँवों तथा ट्रेकिंग ट्रेक्शन से निकलने वाले ट्रेक मार्गों में ही स्थित हो “ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेंटर” ऐसे स्थल से अभिप्रेत है जहाँ से अधिकतम ट्रेकिंग मार्ग प्रारंभ होते हो व शहर से अलग हो जिनका चिन्हीकरण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं यू०टी०डी०बी० द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

(1) अनुदान - राजकीय सहायता (अनुदान) के रूप में नए कक्षों के निर्माण हेतु प्रतिकक्ष रुपये 60,000 (साठ हजार) की सुविधा के साथ तथा पूर्व से निर्मित कक्षों की साज-सज्जा हेतु रुपये 25,000 (पच्चीस हजार) प्रतिकक्ष अधिकतम 6 कक्षों तक, का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक देयकों के आधार पर, गठित समिति के मूल्यांकन/पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।

(2) पात्रता - उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवासी हो एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र

(3) चयन - शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज-

- 1- मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र

2- आयु प्रमाण पत्र

3- शैक्षिक योग्यता/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र

4- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र

5- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र

6- प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं योजना का नक्शा

7- 10 रु० के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र

8- पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति

9- बैंक पासबुक की छायाप्रति

जनपद चमोली के अर्न्तगत अधिसूचित ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेन्टर

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेन्टर का नाम	ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेन्टर से सम्बन्धित गाँव
01	देवाल	लोहाजंग	लोहाजंग, मुन्दोली, बाँक, कुलिंग, दिदिना, वाण, बलाण, हिमनी, घेस, ल्वाणी, बानुडी (देवस्थली तल्ला-मल्ला), हाट कल्याणी, बेराधार।
02	ज्योतिर्मठ	तपोवन (भविष्य बट्टी)	तपोवन, रिंगी, सुभाई, सलधार, तुगासी, करछों, करछी, ढाक, बड़ागांव, रैणी, लाता, कुन्डीखोला, पैंग, मेरग, रेगड़ी।
03	ज्योतिर्मठ	वर्जिण्डा	वर्जिण्डा, देवग्राम, गीरा, डुमक, ल्यारी, थैणा, भैठा, भर्की, कलगोठ, किमाणा, पल्ला जखोला।
04	ज्योतिर्मठ	घांघरिया	घांघरिया, पुलना, भ्यूँडार, पैका।
05	ज्योतिर्मठ	सलूड	सलूड, डुंगा, मोल्ला।
06	ज्योतिर्मठ	द्रोणागिरी	द्रोणागिरी, रविंग, जुम्मा, कागा लगा, जेलम, फागती, लमतोली, सुराईथोटा, भल्लागांव, तोलमा, गरपक, तमक, लौंग, सेगड़ी।
07	ज्योतिर्मठ	माणा	माणा, बामणी, गजकोटी।
08	ज्योतिर्मठ	खीरों	खीरों, लामबगड, औथ, बेनाकुली।
09	ज्योतिर्मठ	गमशाली	गमशाली, मलारी, नीती, बाम्पा, फरकिया, मेहरगाँव, कैलाशपुर, गुरगुटी, रेवल चक कुरकुटी, कोषा।
10	ज्योतिर्मठ	चेनाप	थैंग, चोई।
11	पोखरी	पोगठा (कनकचौरी)	पोगठा, कनकचौरी, गोदीगिवाला
12	नन्दानगर	भेंटी	भेंटी, बंगाली, बांजबगड।
13	नन्दानगर	सुतोल	सुतोल, कनोल, रामणी, घूनी, सितेल, गुलाडी, तातडा,
14	कर्णप्रयाग	बेनीताल	बेनीताल, सिमतोली, सेम, घंडियाल, एरवाडी।
15	थराली	रतगांव	रतगांव, डुंग्री, रुईसान।
16	नारायणबगड	खॉकरखेत	री, खैनोली, कंसोला, नौगांव, हंसकोटी, मैदुनी, गड़कोट, मरोडा।
17	दशोली	रुद्रनाथ	कुजौं, घिंघराण, डुंग्री।
18	दशोली	अनुसूया	अनुसूया, सिरौली।
19	दशोली	दुर्मी ताल	दुर्मी, गौणा, पगना, झीझीं, पाणा, ईराणी, ब्यारा, सैंजी, निजमुला, हडुंग लगा सैंजी, तडागताल, धारकुमार, गाडी।
20	गैरसैंण	भराडीसैंण	सारकोट, परवाडी, चोर्दा, मालसी।